प्रपत्र ए
सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

आपका अजीकेयर प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

	संबंधित विवरण	
1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	आपका अजीकेयर प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	26/07/2012
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	आरओसी – दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U85110DL2012PTC239409
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	जी–51/बी एवं जी-52, अपर फ्लोर, शाहीन बाग, कालिन्दी कुंज रोड, नई दिल्ली साउथ - 110025
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	23/07/2021 (सूचना 26/07/2021 को प्राप्त हुई)
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	19/01/2022
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	प्रभात जैन IBBI/IPA-001/IP-P01980/2020-2021/13123
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई–मेल, जैसाकि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	बी–61, [illegible] कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान, नई दिल्ली – 110055 prabhat@pamco.in
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई–मेल	बी–61, [illegible] कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान, नई दिल्ली – 110055 cirp.aapka@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	06/08/2021
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की उप–धारा (6क) के खंड (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	लागू नहीं
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिह्नित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनलों के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) संबंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण यहां उपलब्ध है	वेब लिंक : https://ibbi.gov.in/home/downloads पर उपलब्ध है। अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण : लागू नहीं

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण ने दिनांक 23/07/2021 को आपका अजीकेयर प्राइवेट लिमिटेड के विरूद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है।

आपका अजीकेयर प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावे प्रमाण सहित 06/08/2021 को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर अंकित 10 के सामने वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावे प्रमाण सहित केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करने होंगे। अन्य सभी लेनदार अपने दावे प्रमाण सहित दस्ती (व्यक्तिगत रूप से), डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।

किसी श्रेणी के साथ संबंधित वित्तीय लेनदार, जैसाकि प्रविष्टि सं. 12 के सामने सूचीबद्ध है, संबंधित श्रेणी के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि सं. 13 के सामने सूचीबद्ध तीन ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनलों में से अपनी पसंद का अधिकृत प्रतिनिधि प्रपत्र सीए में निर्दिष्ट करेगा।

दावे के झूठे अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

तिथि : 26/07/2021
स्थान : नई दिल्ली

प्रभात जैन
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल
IBBI/IPA-001/IP-P01980/2020-2021/13123

वेकरले कॉस्मेटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और वेकरले इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के विलय का विवरण देने वाला विज्ञापन

क्षेत्रीय निदेशक उत्तर क्षेत्र के समक्ष, दिल्ली के आर.ओ.सी एनसीटी और आम जनता के लिए

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत धारा 233 के विषय में

तथा

वेकरले कॉस्मेटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड CIN (U74999DL2017PTC318011) का पंजीकृत कार्यालय 205, जैन भवन, सीए चैंबर्स, 18/12, डब्ल्यू.ई.ए. करोल बाग, नई दिल्ली 110005

वेकरले इंडिया प्राइवेट लिमिटेड CIN (U74999DL2018PTC336805) का पंजीकृत कार्यालय 205–सीए, एच/एफ, 18/12, वेस्ट एक्सटेंशन एरिया करोल बाग, नई दिल्ली 110005 के विषय में।

आम जनता को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि 13 अप्रैल 2021 को आयोजित बोर्ड की बैठक में पारित प्रस्ताव के संदर्भ में वेकरले कॉस्मेटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और वेकरले इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के विलय की पुष्टि के लिये कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 233 के तहत क्षेत्रीय निदेशक को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित दोनों कंपनियों के प्रस्तावित विलय से प्रभावित होने की संभावना है, वो **एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फॉर्म दाखिल करें** या इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के अंदर क्षेत्रीय निदेशक के पते डॉ. राज सिंह बी–2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003, भारत को अपने हित की प्रकृति और विरोध के कारण बताते हुए एक शपथ पत्र द्वारा अपनी आपत्तियाँ भेजें या पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें और उसकी एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर भेजें।

कृते वेकरले कॉस्मेटिक्स इंडिया प्रा. लि.
एसडी/–
अनुज कुमार तोमर
निदेशक
DIN: 08517492

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29.07.2021

वेकरले कॉस्मेटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और वेकरले इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के विलय का विवरण देने वाला विज्ञापन

क्षेत्रीय निदेशक उत्तर क्षेत्र के समक्ष, दिल्ली के आर.ओ.सी एनसीटी और आम जनता के लिए

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत धारा 233 के विषय में

तथा

वेकरले कॉस्मेटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड CIN (U74999DL2017PTC318011) का पंजीकृत कार्यालय 205, जैन भवन, सीए चैंबर्स, 18/12, डब्ल्यू.ई.ए. करोल बाग, नई दिल्ली 110005

वेकरले इंडिया प्राइवेट लिमिटेड CIN (U74999DL2018PTC336805) का पंजीकृत कार्यालय 205–सीए, एच/एफ, 18/12, वेस्ट एक्सटेंशन एरिया करोल बाग, नई दिल्ली 110005 के विषय में।

आम जनता को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि 13 अप्रैल 2021 को आयोजित बोर्ड की बैठक में पारित प्रस्ताव के संदर्भ में वेकरले कॉस्मेटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ वेकरले इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के विलय की पुष्टि के लिये कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 233 के तहत क्षेत्रीय निदेशक को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित दोनों कंपनियों के प्रस्तावित विलय से प्रभावित होने की संभावना है, वो **एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फॉर्म दाखिल करें** या इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के अंदर क्षेत्रीय निदेशक के पते डॉ. राज सिंह बी–2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003, भारत को अपने हित की प्रकृति और विरोध के कारण बताते हुए एक शपथ पत्र द्वारा अपनी आपत्तियाँ भेजें या पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें और उसकी एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर भेजें।

कृते वेकरले इंडिया प्रा. लि.
एसडी/–
अनुज कुमार तोमर
निदेशक
DIN: 08517492

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29.07.2021

INDAG
इन्डैग रबर लिमिटेड

सीआईएन : एल74899डीएल1978पीएलसी009038
पंजी. कार्यालय : 11, कम्युनिटी सेन्टर, साकेत, नई दिल्ली–110017
ई–मेल : info@indagrubber.com, वेबसाइट : www.indagrubber.com, फोन : 011–26963172/73

सूचना
(कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानार्थ)

कम्पनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण के डीमैट खाते में अनिवार्य अंतरण।

यह सूचना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा अधिसूचित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और प्रत्यर्पण) नियमावली, 2016 ("उक्त नियमावली") समय समय पर संशोधितानुसार तथा सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 39(4) के अनुसरण में प्रकाशित की जा रही है।

नियमों के अधीन, अन्य के साथ, कम्पनी द्वारा ऐसे सभी शेयर जिनके संबंध में वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए अंतरिम लाभांश का भुगतान और मांगदावा लगातार विगत 7 वर्षों से नहीं किया गया है, 03 नवंबर, 2021 से 30 दिन के भीतर, उक्त नियमावली में निर्धारित विधि में, केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) के डीमैट खाते में अंतरित किए जाने की अपेक्षा की जाती है।

तदनुसार, कम्पनी द्वारा उन संबंधित शेयरधारकों को उनके अंतिम ज्ञात पते पर या ईमेल आईडी पर व्यक्तिगत सूचना भेजी है, जिनके शेयर नियमों के तहत आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित किए जाने के भागी हैं। ऐसे शेयरधारकों का पूर्ण विवरण तथा उनके फोलियो नंबर अथवा डीपीआईडी–क्लाइंट आईडी अपनी वेबसाइट www.indagrubber.com पर अपलोड किया जाएगा, जो आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरण के प्रयोजनार्थ कम्पनी द्वारा नए शेयर प्रमाणपत्र जारी किए जाने, यदि भौतिक रूप में धारित हैं, के संबंध में उचित सूचना मानी जाएगी।

संबंधित शेयरधारक ध्यान दें कि, ऐसे शेयरों पर कोई भावी लाभांश, जिसमें कार्पोरेट लाभ सम्मिलित है, आईईपीएफ खाते में क्रेडिट किए जाएंगे। ऐसे शेयर उक्त डीमैट खाते में क्रेडिट किए जाने पर, मांगदावा नहीं किए गए लाभांश और आईईपीएफ खाते में अंतरित किए गए ऐसे शेयरों के संबंध में कम्पनी के विरूद्ध कोई दावा मान्य नहीं होगा। तथापि, शेयरधारक आईईपीएफ नियमों के तहत दी गई प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात आईईपीएफ प्राधिकरण से क्रेडिट किए गए शेयर तथा अदावित लाभांश राशि वापस करने की मांग कर सकते हैं। इस संबंध में मांगदावा प्रस्तुत करने हेतु प्रक्रिया www.mca.gov.in तथा www.iepf.gov.in पर उपलब्ध है।

इस विषय में किसी अतिरिक्त जानकारी/स्पष्टीकरण के लिए, संबंधित शेयरधारक कम्पनी को इंडैग रबर लिमिटेड, खेमका हाउस, 11, कम्युनिटी सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017, फोन : 011–26963172–73 ई–मेल : info@indagrubber.com के पते पर लिख सकते हैं अथवा कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट – स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड, डी–153/ए, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–1, नई दिल्ली–110020, फोन : 011–26812682–83, ई–मेल : admin@skylinerta.com के साथ सम्पर्क कर सकते हैं।

बोर्ड के आदेश द्वारा
वास्ते इंडैग रबर लिमिटेड
हस्ता./–
कम्पनी सेक्रेटरी

तिथि : 29 जुलाई, 2021
स्थान : नई दिल्ली

Form No. 3 [See Regulation-15 (1)(a)/16(3)]
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, JAIPUR
SFE-3/4, Nehru Place, Tonk Road, Jaipur- 302015
3839/19.7.21 Case No.: OA/195/2020
Summons under sub-section (4) of section 19 of the Act, read with sub-rule (2A) of rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993.
PUNJAB NATIONAL BANK Exh. No. 3819
VS
M/s Fairwealth Securities Ltd.
To, (1) M/s Fairwealth Securities Ltd.

परिशिष्ट IV
देखें नियम 8(1)
कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,
इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा ...

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती आईडीएफसी बैंक लिमिटेड, और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड नाम से ज्ञात)
सीआईएन: L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय– केआरएम टॉवर्स, 8वीं तल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई–600031